

क्रमांक :- प.4(66)वित्त-1(1)आय.व्य/2019

जयपुर, दिनांक : 09/02/2021

स्वीकृति संख्या-583/2020-21

कोषाधिकारी  
उदयपुर (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 1546.50 लाख मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित शर्तों के अनुसार, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रुपये 1546.50 लाख (अक्षर रुपये पन्द्रह करोड़ छियालीस लाख पचास हजार) मात्र निम्नांकित बजट मदों को प्रनारित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावें।

मांग संख्या 30

| बजट मद  | स्वीकृति संख्या  | राशि<br>(केन्द्रीय<br>सहायता) |
|---|--|-------------------------------|
| 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।<br>02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना<br>(02) - जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान<br>[48] - उद्यान विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) | क्रमांक-एफ.8<br>/ सीटीएडी / लेखा<br>/ प्रस्ताव / एस्.सी.ए. /<br>2020-21 / जयपुर दिनांक<br>04.02.2021 | 222.00                        |
| [51] - पशुपालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)  | 40 / 2020-21   | 301.10                        |
| (03) - परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)<br>[07] - कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)   | 41 / 2020-21   | 200.00                        |
| (03) - परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)<br>[10] - पशुपालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)  | 49 / 2020-21   | 78.60                         |
| (03) - परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)<br>[17] - स्वरोजगार हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)   | 42 / 2020-21   | 125.00                        |
| (03) - परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम (माडा)<br>[18] - कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)   | 44 / 2020-21   | 100.00                        |
| (04) - जनजाति उपयोजना, माडा एवं सहरीया के अलावा क्षेत्र के जनजाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>[01] - कृषि विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)   | 46 / 2020-21   | 190.00                        |
| [04] - पशुपालन परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)<br>12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)  | 50 / 2020-21   | 120.30                        |
|   | 43 / 2020-21   |                               |

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| (04) - जनजाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जनजाति समुदाय के विकास हेतु अनुदान (वि.के.स.) |              |                |
| [09] - स्वरोजगार हेतु अनुदान (वि.के.स.)  |              |                |
| 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)   | 45 / 2020-21 | 125.00         |
| [10] - कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)  |              |                |
| 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)   | 47 / 2020-21 | 65.00          |
| (20) - कलस्टर क्षेत्र के जनजाति समुदाय के विकास हेतु सहायतार्थ अनुदान (वि.के.स.)                         |              |                |
| [04] - कौशल विकास परियोजना हेतु अनुदान (वि.के.स.)  |              |                |
| 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)   | 48 / 2020-21 | 10.00          |
| [05] - विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत कलस्टर क्षेत्र में कृषि विकाय कार्यक्रम                           |              |                |
| 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)   | 51 / 2020-21 | 09.50          |
| <b>योग</b>   |              | <b>1546.50</b> |

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

— SA —  
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

Wj/hy  
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)